

27/10/2020

पत्रावली अधिवक्ता वारी द्वारा प्राथमिक पत्र
 वार विज्ञो किए जाने बावत प्रस्तुत करने
 पर सिंगे से तलब करने पर पेश हुई।
 अधिवक्ता वारी के कथन किता कि
 उक्त वार विज्ञो पर संतोष्य के लाभ
 फुल वार पेश करने चाहता है किता फुल
 वार प्रस्तुत करने की परमिशन देते हुए
 वार पत्र विज्ञो किए जाने का कोदेश प्रमोसे
 हमने पत्रावली का अवलोकन कर अधिवक्ता
 वारी की वक्त पर भ्रमन किता। प्राची
 का प्राथमिक पत्र खीका प्रोग्रम होने से खीका
 किता जाता है एवं वारी का वारी वार प्रस्तुत
 करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वार
 विज्ञो के कोदेश रिएजते है। वार से सम्बन्धित
 जा पत्र 8/2017 दिनांक 23/5/18 को जारी
 अध्याजी निवेद्याज्ञा कपात की जाती है। वार
 पत्र विज्ञो में खागी किता जाता है। (पत्रावली का
 शुमा एफ नम्बर से कम है।)

वार्डन
 सुपरिन्डेंट
 2017
 00230

(श्याम सुन्दर विश्वादे)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

